न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– श्री उत्तमसिंह शेखावत, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2011/218 दायर दिनांक 21.10.2011

वादी		प्रतिवादीगण
1. जहूर खां पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान काजी निवसी सुदरासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0.	बनाम्	1. बाबू खां पु रमजान खां जाति मुसलमान काजी निवासी सुदरासन तहसील डीडवाना 2. रहीसा बानों पत्नी अहमद हुसैन 3. अली खां पुत्र नजीर खा 4. नजीर खां पुत्र करीम खां समस्त जाति कायमखानी निवासी सुदरासन तहसील डीडवाना 5. हाकम अली पुत्र नजीर खां 6. अलीम खां पुत्र नजीर खां 7. शौकत अली खां पुत्र नजीर खां 8. मनोहर खां पुत्र नजीर खां 9. नवाब खां पुत्र नजीर खां 10. न्याज खां पुत्र नजीर खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण सुदरासन तहसील डीडवाना जिला नागौर 11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, प्रसारणार्थ
अन्तर्गत धारा– **18, 53, 188 R.T.Act.**

उपस्थित :– पक्षकारान

–:: निर्णय ::–

दिनांक 28.06.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, विवादित संयुक्त अविभाजित एवं पैत्रिक कृषि भूमि खसरा सं0 222 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा किस्म बारानी अलीफ व खसरा सं0 223 रकबा 45 बीघा 03 बिस्वा किस्म बारानी प्रथम कुल खसरा 02 कुल रकबा 60 बीघा 14 बिस्वा ग्राम सुदरासन में अवस्थित है। जिनकी वंशावल वाद के साथ पेश है। उक्त पैत्रिक सम्पति पूर्व में वादी के दादा नानू खां के नाम दर्ज थी, नानू खां के फौत होने पर वादी के पिता रमजान खां तथा काका रसूल खां व समन्दर खां के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुई। रसूल खां व समन्दर खां ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा विक्रय कर दिया है। वादी के पिता रमजान खां के फौत होने पर उपरोक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 बाबू खां व गुलाब खां के नाम खातेदारी दर्ज हुई गुलाब खां के नाऔलाद फौत होने पर उसका हिस्स वादी एवं प्रतिवादी सं0

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या–2011/218
दायर दिनांक 21.10.2011, निर्णय दिनांक 28.06.2017
जहुर खां बनाम बाबू खां वगैरा।

01 बाबू खां के नाम दर्ज होकर खातेदार काश्तकार चले आ रहे है। वर्तमान में वादी एवं प्रतिवादी सं0 01 काबिज होकर खातेदार है। वादी के काका रसूल खां व समन्दर खां ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादी सं0 02 ता 10 को विक्रय कर दिया है तब उनके हिस्सा पर प्रतिवादी सं0 02 ता 10 का हिस्सा दर्ज हुआ। उपरोक्त वर्णित कृषि भूमियों में पूर्व में वादी व प्रतिवाद सं0 01 के पिता रमजान का 1/3 हिस्सा आया हुआ था, रमजान के फौत होने पर उक्त कृषि भूमियों पर वादी व प्रतिवादी सं0 01 का अपने पिता के 1/3 भाग में 1/2–1/2 हिस्सा आया हुआ तथा बाकी हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 01 के काका रसूल खां का 1/3 व 1/3 भाग का हिस्सा समन्दर खां का था, जिन्होने अपना सम्पूर्ण हिस्स प्रतिवादी सं0 02 ता 10 को विक्रय कर दिया है तब से उनका हिस्सा प्रतिवादी सं0 02 ता 10 के नाम दर्ज हुआ। इस प्रकार उपरोक्त कृषि भूमियों पर वादी व प्रतिवादी सं0 01 के पिता का हिस्सा 1/3 में 1/2 – 1/2 भाग बंट में आया हुआ है तथा बकाया हिस्सा पर प्रतिवादी सं0 02 ता 10 काबिज काश्तकार है तथा इसी अनुरूप मौके पर अपने अपने हिस्सा पर निरन्तर एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्तकार चले आ रहे है। जिसका वादी विधिवत बंटवारा करवाना चाहता है।

प्रार्थना वादी है कि डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाई जाकर विवादित कृषि भूमि का मौके के अनुसार वादी का हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस विधिवत बंटवारा कर वादी का हिस्सा अलग कर अलग खसरा नम्बर अंकित किया जाकर इसी अनुरूप बंटवारा कर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अमल दरामद किया जावें।

प्रकरण आज न्याय आपके द्वार कैम्प नुवां में पेश हुआ। पक्षकारान उपस्थित। मजमें आम में प्रकरण के संबंध में जानकारी ली गई। पक्षकारान सम्पूर्ण खसरे में से 1/2, 1/2 बंटवारा किये जाने पर सहमत है। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मजमें आम में वादीगण का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद सुद्रासन के खसरा सं0 223 रकबा 45 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 222 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा का बंटवारा कर वादी जहुर खां का हिस्सा अलग कर स्वंतत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी जहुर खां के हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार दखल अन्दाजी कब्जा आदि नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

न्यायालय सहायक कलेक्टर * डीडवाना *

निर्णय आज दिनांक 28.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट कैम्प नुवां में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

दि0. 29-11-2017

नोट :- [illegible] जारी [illegible] समस्त [illegible] पक्षकार को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत:– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2011/218

दायर दिनांक 21.10.2011

वादी		प्रतिवादीगण
1. जहूर खां पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान काजी निवासी सुदरासन तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0	बनाम्	1. बाबू खां पु रमजान खां जाति मुसलमान काजी निवासी सुदरासन तहसील डीडवाना 2. रहीसा बानों पत्नी अहमद हुसैन 3. अली खां पुत्र नजीर खा 4. नजीर खां पुत्र करीम खां समस्त जाति कायमखानी निवासी सुदरासन तहसील डीडवाना 5. हाकम अली पुत्र नजीर खां 6. अलीम खां पुत्र नजीर खां 7. शौकत अली खां पुत्र नजीर खां 8. मनोहर खां पुत्र नजीर खां 9. नवाब खां पुत्र नजीर खां 10. न्याज खां पुत्र नजीर खां समस्त जाति कायमखानी निवासीगण सुदरासन तहसील डीडवाना जिला नागौर 11. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्
बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा, प्रसारणार्थ
अन्तर्गत धारा– 18, 53, 188 R.T.Act.

दिनांक 28.06.2017

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री पक्षकारान की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा डिक्री सादिर कर, सरहद सुद्रासन के खसरा सं0 223 रकबा 45 बीघा 03 बिस्वा व खसरा सं0 222 रकबा 15 बीघा 11 बिस्वा का बंटवारा कर वादी जहुर खां का हिस्सा अलग कर स्वंतत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी जहुर खां के हक हिस्से की भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार दखल अन्दाजी कब्जा आदि नहीं करें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग.. ....–............... बाबत.....................–...................खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें।बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 28.06.2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017 कैम्प कोर्ट नुवां में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
सहायक कलक्टर
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
थ्मजान			मिजान		

सहायक कलक्टर डीडवाना

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

दिनांक :- 29/11/2017

नोट :- नवीन वादी द्वारा प्रस्तुत नामी नक्शा अनुसार मुश्तरका को स्वतंत्र खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

क्रमांकः—218—2011/रीडर/2017/ 1127 दिनांक 7/12/17

प्रेषितिः—

तहसीलदार
डीडवाना।

विषयः —संशोधित डिक्री की पालना करने बाबत्।

दावा बाबत्
बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ,
अन्तर्गत धारा—53, 188 R.T. Act.

वादी		प्रतिवादीगण
1. जहूर खाँ पुत्र रमजान खाँ, जाति—मुसलमान काजी, निवासी—सुदरासन, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. बाबू खाँ पुत्र रमजान खाँ, जाति—मुसलमान काजी, निवासी—सुदरासन, तहसील—डीडवाना, जिला—नागौर, राजस्थान, वगैरा

उपरोक्त विषयक वर्णित प्रकरण में पारित संशोधित डिक्री की छायाप्रति संलग्न पालनार्थ प्रेषित है। निर्णयानुसार पालना कर पालना रिर्पोट भिजवायें, बशर्ते किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन व राज्यहित प्रभावित नहीं हो।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner